

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा</u> प्रकरण संख्या <u>66 / 2021</u> रे0फो0 राजस्थान राज्य बनाम अर्जुनलाल (1/1)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की
	दिनांक : 08.04.2026 सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त अर्जुनलाल मय अधिवक्ता श्री योगेश पाराशर उपस्थित। साक्ष्य अभियोजन में गवाह कैलाशचन्द का जमानती वारंट बाद तामील प्राप्त हुआ। साक्ष्य अभियोजन में गवा कैलाशचन्द पीडब्ल्यू 08 के बयान लेखबद्ध किए गए। सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर साक्ष्य अभियोजन बंद की जाती है। पत्रावली बयान मुलजिम में नियत की जाती है। अधिवक्ता अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि आगामी पेशी पर अभियुक्त को आवश्यक रूप से उपस्थित रखें। पत्रावली वास्ते बयान मुलजिम दिनांक 17.04.2026 को पेश हो।	